राज्य बजट 2023–24 के लिए

प्रमुख मुद्दे व मांगें

बजट एनालिसिस एण्ड रिसर्च सेन्टर ट्रस्ट

प्लॉट न. 02, रूपनगर, हरि मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर (राज.)

ईमेल: barctrust@gmail.com

वेबसाइट: www.barctrust.org

तीन प्रमुख मांगें:

- **सीमांत एवं लघु किसान कृषि से जुड़ी कईं योजनाओं जैसे तारबंदी, फार्म पोंड, स्प्रिंकलेर आदि का पात्रता, कम जमीन एवं अन्य असमर्थताओं के कारण लाभ नहीं ले पातें हैं अतः ऐसी योजनाओं को व्यक्तिगत के समुदाय आधारित बनाया जाए! ताकि छोटे किसान समूह बनाकर सामुदायिक रूप से इनका लाभ ले सकें ।**
- **आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपयोग किये जा रहे उपकरणों जैसे वज़न की मशीन आदि की उपयोग अवधि निश्चित की जानी चाहिए, जिसके बाद उन उपकरणों को आवश्यक रूप से बदल दिया जाये।**
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं हेतु कानून से संबंधित नियमों में राज्य में योजनाओं के बजट (Schematic Budget) को आधार बनाकर दोनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन एवं खर्च किये जाने का प्रावधान किया जाए।**

बजट में पारदर्शिता:

- **जेंडर बजट विवरण:** जेंडर बजट विवरण में केवल बजट अनुमान से संबंधित आंकड़ों का विवरण दिया जाता है। अतः जेंडर बजट विवरण में वास्तविक व्यय एवं संशोधित बजट के आंकड़ों का भी विवरण दिया जाये।
- **जेंडर बजट विवरण में अभी भी बहुत कम विभाग और उन विभागों के कुछ ही योजनाओं/कार्यक्रमों/मदों की सूचना उपलब्ध होती है। इस विवरण में नये विभाग और योजनाएं जोड़ी जानी चाहिये।**
- **चाइल्ड बजट स्टेटमेंट:** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 से बाल बजट विवरण (Child Budget Statement) पेश किया जा रहा है। लेकिन यह बाल बजट विवरण काफी सीमित एवं संकुचित रुप से तैयार किया जा रहा है। फिलहाल इस विवरण में बच्चों से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों/योजनाओं को शामिल नहीं किया गया है। इसमें बच्चों के अधिकारों हेतु क्रियांवित की जा रही सभी योजनाओं/मदों को शामिल किया जाना चाहिये।
- **सभी विभागों में जेंडर बजट एवं चाइल्ड बजट के नोडल अधिकारी नियुक्त हों तथा उन्हें इसके लिये उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।**
- **सतत् विकास लक्ष्य एवं बजट विवरण:** राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2020–21 से सतत् विकास लक्ष्यों के संबंध में किये गये प्रावधानों का योजनावार विवरण दिया जा रहा है लेकिन इस विवरण में केवल बजट अनुमान से संबंधित आंकड़ों का विवरण दिया जा रहा है। इस विवरण में वास्तविक व्यय एवं

संशोधित बजट के आंकड़ों का भी विवरण दिया जाये ताकि राज्य में इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में सरकार द्वारा किये जा रहे वास्तविक व्यय की जानकारी मिल सके।

- **निष्पादन बजटः** राज्य सरकार द्वारा विभिन्न विभागों का निष्पादन बजट तैयार किया जाता है लेकिन इससे यह पता नहीं चलता है कि लक्ष्य प्राप्त हुए या नहीं अर्थात् तय किये गये लक्ष्यों के प्राप्ति की स्थिति क्या रही। आउटकम बजट में पिछले वर्ष निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की स्थिति का विवरण दिया जाना चाहिये।

खाद्य सुरक्षाः

- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) में नये नाम जोड़ने की प्रक्रिया आरंभ हुई है, इसमें तेज़ी लाइ जानी चाहिये।
- एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ONORC) योजना के अंतर्गत बहुत से प्रवासी लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। इस संबंध में राशन डीलरों को दिशा–निर्देश जारी किए जाएं।
- जिन क्षेत्रों में प्रवासी मजदुर अधिक संख्या में रहते हैं वहां ONORC कार्यक्रम का प्रचार किया जाना चाहिये।
- इंदिरा रसोई योजना में प्रति थाली/खाने की सरकार द्वारा निर्धारित यूनिट कॉस्ट (25 रु) बहुत कम है अतः लाभार्थीयों की शुल्क बढ़ाये बिना यूनिट कॉस्ट को बढ़ाया जाना चाहिए साथ ही खाने की गुणवत्तायुक्त भी सुनिश्चित करवाई जाए।

पोषणः

- महिला एवं बाल विकास विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (2019–20) के अनुसार राज्य के आंगनवाड़ी केन्द्रों में कुल स्वीकृत पदों मुकाबले आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 3.5 प्रतिशत, सहायिकाओं के 4.5 प्रतिशत, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के 8 प्रतिशत एवं आशा सहयोगिनी के 18.5 प्रतिशत पद रिक्त हैं परिणामस्वरुप इन सेवाओं का क्रियांवयन प्रभावित हो रहा है। अतः इन रिक्त पदों को शीध्र भरा जाये एवं इनका मानदेय मंहगाइ के साथ बढ़ाने का प्रावधान किया जाये।
- राज्य में बहुत से आंगनवाड़ी केन्द्र किराये के भवनों में चल रहे हैं, जहां पर खेलकूद एवं अन्य गतिविधियों हेतु सुविधाओं का अभाव है। विभाग के वार्षिक प्रतिवेदन (2021–22) के अनुसार राज्य में करीब 61625 आंगनवाड़ी केन्द्र (6204 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों सहित) क्रियाशील हैं इनमें से 47.22 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में शौचालय की सुविधा नहीं है जबकि करीब 20.57 प्रतिशत में पेयजल की

सुविधा नहीं है। अतः राज्य के आंगनवाड़ी केन्द्रों को स्वयं के भवन उपलब्ध करवाने के साथ इनमें विभिन्न सुविधाओं (पेयजल, शौचालय, खेलकूद आदि) का विकास किया जाये।

- **आंगनबाड़ी केंद्रों पर उपयोग किये जा रहे उपकरणों जैसे वज़न की मशीन आदि की उपयोग अवधि निश्चित की जानी चाहिए, जिसके बाद उन उपकरणों को आवश्यक रूप से बदल दिया जाये।**
- **किशोरियों के लिये योजना में 11 से 14 वर्ष की आयु की किशोरियों को लाभ मिलता है। हलांकि इस उम्र की अधिकतर लड़कियां विद्यालय में जाती हैं। इस योजना में पात्रता की आयू 11 से 18 वर्ष की जानी चाहिये। 15 से 18 वर्ष की किशोरियों के लिये राज्य सरकार बजट प्रावधान कर सकती है।**
- अति कुपोषित बच्चों को डबल पोषाहार दिये जाने के प्रावधान का समुचित पालन किया जाये
- दूर–दराज के क्षेत्रों में जहां आंगनवाड़ी केन्द्र नहीं है वहां के बच्चों, किशोरियों एवं धात्री महिलाओं को पोषण सामग्री एवं संबंधित सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की जाये।
- राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे (NFHS-5) द्वारा जारी किये गये आंकडों को देखा जाये तो राज्य के बच्चों में कुपोषण, बाल लिंगानुपात आदि गंभीर समस्याएं बनी हुई है। अतः राज्य में आंगनवाड़ी सेवाओं में सुधार के साथ इनमें आधारभूत सुविधाओं को सुदृढ करने पर जोर दिया जाना चाहिये।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाः

- सरकार द्वारा अनुसूचित जाति उपयोजना एवं जनजाति उपयोजना हेतु कानून बनाया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति उपयोजना के नियम जल्द बनाए जाने चाहिये।
- **अनुसूचित जाति एवं जनजाति उपयोजनाओं हेतु कानून से संबंधित नियमों में राज्य में योजनाओं के बजट (Schematic Budget) को आधार बनाकर दोनों वर्गों की जनसंख्या के अनुपात में बजट आवंटन एवं खर्च किये जाने का प्रावधान किया जाए।**

अल्पसंख्यक बजट एवं योजनाएंः

- अल्पसंख्यक विभाग का बजट राज्य के कुल बजट का मात्र 0.1 प्रतिशत से भी कम है और पिछले कई वर्षों से इसी स्तर पर बना हुआ है, इसमें बढ़ोतरी की जाए।
- अल्पसंख्यकों के विकास हेतु राज्य में संचालित 15 सूत्री कार्यक्रमों के परिणामों की निगरानी की व्यवस्था कमज़ोर है। 20 सूत्री कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम के निगरानी हेतु व्यवस्थित तंत्र स्थापित किया जाये।

- राज्य में 1 अप्रेल 2018 से प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों की संख्या में पहले के मुकाबले काफी बढ़ोतरी हो गई है लेकिन उसी अनुरुप बजट में बढ़ोतरी नहीं की गई है। अतः इस कार्यक्रम के अंतर्गत बजट आवंटन को भी इसी अनुरुप बढ़ाने की आवश्यकता है।
- अल्पसंख्यकों से संबंधित सरकारी योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रसार–प्रचार के साथ इनके बेहतर क्रियांवयन एवं व्यवस्थित निगरानी को सुनिश्चित किया जाये।

घुमंतू समुदायः

- राज्य में घुमंतू समुदायों को वैधानिक पहचान नहीं होने से ये सरकारी योजनाओं से वंचित रहते हैं। अतः सरकार द्वारा इन समुदायों के सामाजिक–आर्थित आंकड़े एकत्रित कर इनको वैधानिक पहचान दिये जाने की आवश्यकता है।
- इदाते आयोग के अनुसार राज्य के कईं घुमंतू समुदाय राज्य की घुमंतू जातियों की सूची से बाहर हैं अतः उन्हें भी सरकार द्वारा घुमंतू सूची में शामिल किया जाये।

कृषि एवं संबंधित गतिविधियांः

- राजस्थान में विविध प्रकार की कृषि–जलवायु विशेषताएं विद्यमान है एवं जलवायु के आधार पर राज्य को 10 जलवायुवीय क्षेत्रों में बांटा गया है। इन जलवायु क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुये कृषि नीति बनाकर उनके अनुसार कृषि विकास की योजनाएं तैयार कर लागू की जानी चाहिये।
- **राज्य में जैविक खेती पर सरकार द्वारा स्पष्ट नीति तैयार कर लागू किये जाने की आवश्यकता है एवं इसके प्रोत्साहन हेतु आवश्यक प्रशिक्षण एवं उत्पादों हेतु बाजार की व्यवस्था की जानी चाहिये।**
- राज्य में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर (कृषि एवं सिचाई क्षेत्रों दोनों को मिलाकर) कुल बजट का 6 से 7.5 हिस्सा आवंटित किया जाता है। जबकि राज्य की करीब 62 प्रतिशत आबादी अपनी आजीविका हेतु कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर निर्भर है एवं राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में भी कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का करीब 30 प्रतिशत योगदान है। अतः इसको ध्यान में रखते हुये कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र पर बजट आवंटन को बढाया जाना चाहिये।
- **राज्य में अधिकांश कृषि वर्षा आधारित है, ऐसे में वर्षा आधारित कृषि के अनुकूल योजनाओं पर जोर दिये जाने की आवश्यकता है।**
- आवश्यक कृषि आदानों जैसे– खाद, बीज, सिंचाई आदि के लिये बेहतर योजनागत एवं बजटीय प्रावधानों की आवश्यकता है। राज्य में कृषि आदानों, विशेषरुप से बीज एवं खाद के लिये किसानों को बुवाई एवं

आवश्यकता के समय बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः राज्य सरकार को उन्नत किस्म के बीज तैयार कर समुचित आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु समुचित प्रयास करने की आवश्यकता है।

- राज्य में कृषि उत्पादों हेतु मंडियों की संख्या बढ़ाने के साथ ग्राम पंचायत स्तर पर गोदाम/संगहण केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिये।
- राजस्थान में महिलाएं कृषि में किसान एवं कृषि मजदूर के रुप में जुड़ी हुई हैं। महिला किसानों को कृषि से जुड़े प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रमों को महिलाओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता है।
- किसानों की विभिन्न योजनाओं का लाभ महिला किसान भी उठा सकें, इसके लिये नियमों को लचिला बनाकर अधिक आसान बनाया जाना चाहिये।
- कृषि कार्यों में कम से कम 100 दिन काम करने वाली महिलाओं को किसान के तौर पर पहचान दी जानी चाहिये।
- **महिला किसानों को भी विभिन्न कृषि बीमा एवं अन्य योजनाओं के लाभ मिल सकें, इसके लिये नियम बनाने की आवश्यकता है।**
- राज्य में करीब 58 प्रतिशत लघु एवं सीमांत किसान हैं जिनके पास 2 हैक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे में इन किसानों हेतु कृषि, पशुपालन, मछलीपालन आदि से संबंधित कार्यक्रमों को लघु एवं सीमांत किसानों को ध्यान में रखते हुए इनके अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता है।
- **सीमांत एवं लघु किसान कृषि से जुड़ी कईं योजनाओं जैसे तारबंदी, फार्म पोंड, स्प्रिंकलेर आदि का पात्रता, कम जमीन एवं अन्य असमर्थताओं के कारण लाभ नहीं ले पातें हैं अतः ऐसी योजनाओं व्यक्तिगत के समुदाय आधारित बनाया जाए! ताकि छोटे किसान समूह बनाकर सामुदायिक रूप से इनका लाभ ले सकें ।**
- पूर्व में निर्मित ग्रामीण स्तर पर छोटे तालाबों, एनीकटों के निर्माण के साथ इनकी मरम्मत करके सुधारा जाये।